

बिहार सरकार
विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग

संकल्प

विषय:- राज्य सरकार के विभिन्न विभागों/उपक्रमों/निकायों में कम्प्यूटर से संबंधित कौशल एवं योग्यता के आधार पर रुपये 4200/- मात्र के ग्रेड वेतन के साथ वेतनबैंड पीबी-2 में या उससे निम्न वेतनमान में सहायक प्रोग्रामर, प्रोग्रामिंग असिस्टेंट, टेक्नीकल असिस्टेंट, आई.टी. असिस्टेंट, जूनियर नेटवर्क/सिस्टम इंजीनियर, डाटा इन्ट्री ऑपरेटर इत्यादि पदनामों से सृजित पदों पर नियुक्ति हेतु राज्य प्रावैधिक शिक्षा पर्वद द्वारा कम्प्यूटर साइन्स एण्ड इंजिनियरिंग /कम्प्यूटर एप्लीकेशन/इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी शाखा में प्रदत्त तीन वर्षीय डिप्लोमा को वांछित शैक्षणिक अर्हता निर्धारित करने के संबंध में।

राज्य प्रावैधिक शिक्षा पर्वद, बिहार, पटना के अधीन विभिन्न राजकीय पोलिटेकनिक/राजकीय महिला पोलिटेकनिक संस्थानों में अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् द्वारा अनुमोदित कम्प्यूटर साइन्स एण्ड इंजिनियरिंग शाखा में तीन वर्षीय पाठ्यक्रम लागू है। पूर्व में उक्त संस्थानों में अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् द्वारा अनुमोदित कम्प्यूटर एप्लीकेशन तथा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पाठ्यक्रम संचालित थे।

- 2 उक्त पाठ्यक्रमों से उत्तीर्ण छात्र/छात्राओं को राज्य सरकार के अधीन विभिन्न विभागों/ उपक्रमों/ निकायों में कम्प्यूटर से संबंधित कौशल एवं योग्यता के आधार पर सृजित पदों पर नियुक्ति में अवसर प्राप्त नहीं था।
- 3 उक्त पाठ्यक्रमों से उत्तीर्ण डिप्लोमाधारी छात्र/छात्राओं के द्वारा यह मांग है कि राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में कम्प्यूटर से संबंधित कौशल एवं योग्यता के आधार पर सृजित पदों पर नियोजन हेतु उन्हें योग्य माना जाय। यह प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन था।
- 4 सम्यक विचारोपरांत राज्य सरकार ने विभिन्न विभागों/उपक्रमों/निकायों में कम्प्यूटर से संबंधित कौशल एवं योग्यता के आधार पर रुपये 4200/- मात्र के ग्रेड वेतन के साथ वेतन बैंड पीबी-2 में या उससे निम्न वेतनमान में सहायक प्रोग्रामर, प्रोग्रामिंग असिस्टेंट, टेक्नीकल असिस्टेंट, आई.टी. असिस्टेंट, जूनियर नेटवर्क/सिस्टम इंजीनियर, डाटा इन्ट्री ऑपरेटर इत्यादि पदनामों से सृजित पदों पर नियुक्ति हेतु राज्य प्रावैधिक शिक्षा पर्वद द्वारा कम्प्यूटर साइन्स एण्ड इंजिनियरिंग/कम्प्यूटर एप्लीकेशन/इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी शाखा में प्रदत्त तीन वर्षीय डिप्लोमा को वांछित शैक्षणिक अर्हता निर्धारित करने का निर्णय लिया है।

आदेश:- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के अगले अंक में सर्वसाधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित की जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह./-
(रामएकबाल शर्मा)
सरकार के संयुक्त सचिव
विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग
बिहार, पटना।

- ज्ञापांक – वि.प्रा. (II) व2-06/2012- 974 /पटना, दिनांक- 19.4.2012
 प्रतिलिपि – महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
 ह./-
 सरकार के संयुक्त सचिव
- ज्ञापांक – वि.प्रा. (II) व2-06/2012- 974 /पटना, दिनांक- 19.4.2012
 प्रतिलिपि – सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
 ह./-
 सरकार के संयुक्त सचिव
- ज्ञापांक – वि.प्रा. (II) व2-06/2012- 974 /पटना, दिनांक- 19.4.2012
 प्रतिलिपि – सभी प्रमंडलीय आयुक्त/जिला पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
 ह./-
 सरकार के संयुक्त सचिव
- ज्ञापांक – वि.प्रा. (II) व2-06/2012- 974 /पटना, दिनांक- 19.4.2012
 प्रतिलिपि – अध्यक्ष/प्रबंध निदेशक, राज्य सरकार के सभी उपक्रम/निकायों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
 ह./-
 सरकार के संयुक्त सचिव
- ज्ञापांक – वि.प्रा. (II) व2-06/2012- 974 /पटना, दिनांक- 19.4.2012
 प्रतिलिपि – प्राचार्य, सभी राजकीय पोलिटेकनिक/राजकीय महिला पोलिटेकनिक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
 ह./-
 सरकार के संयुक्त सचिव
- ज्ञापांक – वि.प्रा. (II) व2-06/2012- 974 /पटना, दिनांक- 19.4.2012
 प्रतिलिपि – विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग के सभी पदाधिकारियों/सहायकों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
 ह./-
 सरकार के संयुक्त सचिव
- ज्ञापांक – वि.प्रा. (II) व2-06/2012- 974 /पटना, दिनांक- 19.4.2012
 प्रतिलिपि – श्री चन्द्रशेखर सिंह, परीक्षा नियंत्रक, रा.प्रा.शि. पर्सद, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
 अनुरोध है कि इस संकल्प को विभाग के Web-site पर upload कर दें।
 ह./-
 सरकार के संयुक्त सचिव